संख्याः61/2017/1230/छप्पन-2017-52/2017

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2017

विषयः **"उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017"**।

महोदय,

नागर विमानन क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रोत्साहनों के माध्यम से अण्डरसर्व्ड **(underserved)** और अनसर्व्ड **(unserved)** हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों/स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 प्राख्यापित की गई है और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम **(RCS)** प्रारम्भ की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में नागर विमानन के क्षेत्र में अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने के लिए मजबूत नागर विमानन अवसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने, विमानन क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करने में सहायता करने, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत नए रूट्स का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने, प्रदेश के नॉन-आर.सी.एस. एयरपोर्ट्स के मध्य इन्टर-कनेक्टिविटी हेतु सुविधा प्रदान करने, भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर राज्य में पर्यटन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने, व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने, एयर कार्गो हब के विकास को प्रोत्साहन देकर उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात एवं अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं के निर्यात व विनिर्माण और ई-कॉमर्स कारोबार को बढ़ावा देने, मानव संसाधन विकसित करके एवं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा कर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में एम.आर.ओ. सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक समग्र **"उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017"** को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3- साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी सम्बन्धित विभाग रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तथा **"उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017"** के अन्तर्गत दर्शाए गए अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जहां शासनादेश जारी होने की आवश्यकता है, वहां निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ससमय शासनादेश जारी करें।

2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में उक्त अनुमोदित **"उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017"** की हिन्दी/अंग्रेजी प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीति में अपने विभागों से सम्बन्धित प्रस्तरों पर यथावश्यक विभागीय शासनादेश/अधिसूचना/नियमावली शीघ्र जारी करने का कष्ट करें एवं जारी किए जाने वाले आदेशों की एक प्रति नागरिक उड्डयन अनुभाग/नागरिक उड्डयन निदेशालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त

भवदीय,
एस0पी0 गोयल
प्रमुख सचिव।

संख्या-61/2017/1230(1)/छप्पन-2017- तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
7- नियोजन अनुभाग-1
8- समस्त अधिकारीगण, नागरिक उड्डयन विभाग।
9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या-61/2017/1230(2)/छप्पन-2017- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस नीति का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें। नीति की प्रति संलग्न है।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in